भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1329

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहल

1329. **श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में दालों के उत्पादन संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है, और निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन और कार्यान्वयन समय-सीमा कितनी है और शुरू की गई विशिष्ट पहल और नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर इन पहलों का प्रभाव क्या है और, इसकी पुष्टि हेतु आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बढ़े हुए दाल उत्पादन का क्षेत्रीय वितरण करने और विभिन्न राज्यों में समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय क्या हैं; और

(ङ) दलहन उत्पादन के लिए भविष्य की निर्धारित योजनाएं और लक्ष्य क्या हैं, जिनमें दलहन उत्पादकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ): विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में दलहनों का उत्पादन तथा निर्धारित लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैं:

(लाख टन में)

वर्ष	कुल दलहनों का लक्ष्य	कुल दलहन उत्पादन
2019-20	263.0	230.25
2020-21	256.0	254.63
2021-22	250.0	273.02
2022-23	295.5	260.58
2023-24	292.5	242.46*

* अंतिम अनुमान

विगत पांच वर्षों के राज्य-वार दलहन उत्पादन का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) आंध्र प्रदेश सहित सभी 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएफएसएनएम के तहत, राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को पद्धतियों के उन्नत पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, अधिक उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी)/हाईब्रिड बीजों का वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक, प्रसंस्करण और फसलोपरांत उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण इत्यादि जैसे हस्तक्षेपों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में किसान को प्रौद्योगिकी समर्थन और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। 2024-25 के दौरान एनएफएसएनएम-दलहन के तहत आंध्र प्रदेश को आवंटित राशि 2907.00 लाख रुपये है।

दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, विगत पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान, आईसीएआर ने दलहन फसलों के कुल 62504 कुन्तल की मांग की तुलना में लगभग 80205 कुन्तल प्रजनक बीजों का उत्पादन किया और किसानों के लिए दलहन के प्रमाणित बीज में रूपांतरण हेतु इन्हें विभिन्न सार्वजनिक/निजी बीज एजेंसियों को वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर ने 2016-17 से देश भर में 150 जिला स्थानों पर “दलहन बीज हब” के माध्यम से दलहन की हाल ही में अधिसूचित किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता में वृदधि भी कर रहा है।

इसके अतिरिक्त डीएएंडएफडब्ल्यू, कटाई अवधि के दौरान जब कभी भी कीमतें एमएसपी से कम हो जाती है तब राज्य-स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से, केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों के अनुरूप पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे अधिसूचित दलहनों की खरीद, सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर करने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्वयन करता है। पीएसएस के तहत खरीद की सीमा उस मौसम विशिष्ट के लिए जिंस के वास्तविक उत्पादन की 25% है। तथापि, तूर, उड़द और मसूर के संबंध में, घरेलू उत्पादन में वृदधि करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएसएस के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए मौजूदा खरीद सीमा को हटा दिया गया है।

उपर्युक्त उपायों के माध्यम से सरकार का प्रयास खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।

अनुबंध

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर के लिए देय लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1329 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

कुल दलहन उत्पादन

राज्य	उत्पादन (लाख टन)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंध्र प्रदेश	11.67	10.95	10.54	10.76	8.23
अरुणाचल प्रदेश	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15
असम	1.06	1.09	1.11	1.11	1.68
बिहार	3.34	3.77	3.88	4.14	3.99
छत्तीसगढ़	2.41	4.48	3.87	4.75	3.65
गुजरात	10.57	18.09	27.01	17.93	15.47
हरियाणा	0.64	0.73	1.06	0.80	0.37
हिमाचल प्रदेश	0.55	0.60	0.75	0.49	0.49
जम्मू और कश्मीर	0.44	0.10	0.10	0.10	0.14
झारखंड	8.15	9.05	8.98	7.61	7.64
कर्नाटक	21.56	20.65	19.72	17.57	16.69
मध्य प्रदेश	41.08	52.95	56.95	62.67	59.74
महाराष्ट्र	37.36	43.21	50.24	46.35	40.08
मणिपुर	0.25	0.29	0.31	0.32	0.30
मेघालय	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
नागालैंड	0.47	0.47	0.30	0.39	0.39
ओडिशा	4.32	4.31	4.81	4.95	5.47
पंजाब	0.29	0.31	0.76	0.33	0.69
राजस्थान	44.97	42.52	40.53	36.17	33.35
तमिलनाडु	6.05	4.72	4.99	5.03	3.86
तेलंगाना	5.49	5.90	5.76	4.97	3.61
त्रिपुरा	0.19	0.20	0.18	0.17	0.17
उत्तर प्रदेश	24.47	24.76	26.20	28.43	31.15
उत्तराखंड	0.58	0.61	0.64	0.62	0.52
पश्चिम बंगाल	3.85	4.42	3.90	4.51	4.33
अन्य	0.23	0.19	0.16	0.14	0.18
अखिल भारत	230.25	254.63	273.02	260.58	242.46

*****